HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2325/2026

1. Mohan Lal S/o Champalal, Aged About 40 Years, Resident Of Kacchi Basti, Pipli Chowk, Police Station Mata Ka Than, District Jodhpur Raj. Date Of Arrest 07.02.2026 At Present Lodged In Central Jail, Jodhpur
2. Kailash S/o Gopikishan, Aged About 46 Years, Resident Of Near Old Bus Stand, Rana Partap Chowk, District Pali At Present Resident Of H.no. 667, Sector 9, Kudi Bhagtasni, District Jodhpur Raj. Date Of Arrest 07.02.2026 At Present Lodged In Central Jail, Jodhpur

----Petitioners

Versus

State of Rajasthan, through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jagdish Bhadu
For Respondent(s)	:	Mr. Pawan Kumar Bhati, Asst. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

18/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर सिटी पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 274, 275 भारतीय न्याय संहिता व धारा 51, 63 कोपीराइट एक्ट, 1957 में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध नकली घी के निर्माण व पैकिंग करने तथा विक्रय करने इत्यादि और अपने कब्जे में रखने के अपराध का

आरोप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 07.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 07.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध नकली घी तैयार करने में ब्राण्डेड कम्पनियों के कॉपी राइट कर नकली घी का निर्माण व विक्रय करने इत्यादि बाबत धारा 318(4), 274, 275 भारतीय न्याय संहिता व धारा 51, 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। घी नकली हो इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. मोहनलाल पुत्र चम्पालाल 2. कैलाश पुत्र गोपीकिशन** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में

आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

29-Nitin Jagtiani/-